भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1557

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025

†1557. **श्री मड्डीला गुरूमूर्ति**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के अंतर्गत प्रस्तावित विनियामक ढांचे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के उद्देश्यों का समर्थन करने और उनमें तेजी लाने का प्रयास किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस विधेयक के अधिनियमित होने के बाद विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को नई विनियामक व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए सांकेतिक समय-सीमा क्या है;
(घ) क्या इस विधेयक में संस्थागत स्वायत्तता, शैक्षिक स्वतंत्रता और गुणवत्ता मानकों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव किया गया है; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में परिकल्पित उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली को लागू करने के लिए, विधिवत विचार करने के बाद, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 को दिनांक 15.12.2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य एक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) बनाना है ताकि विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को मानक के समन्वय और निर्धारण के जरिए शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनने में मदद करेगा और एक मज़बूत और पारदर्शी प्रत्यायन और स्वायत्ता प्रणाली के ज़रिए उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा।

यह विधेयक संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजा गया है।

*****